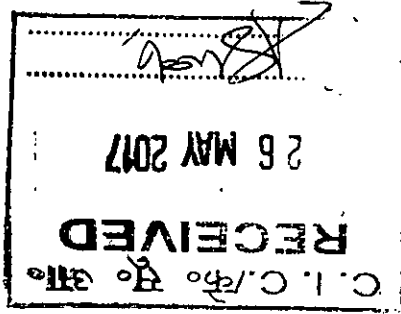




26/05/17
AS

0/2

प्रतिनिधि : श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकॉष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपील/अधिकारी

[Signature]

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रति उत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. संबंधित सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 30.03.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना विरुद्ध सही है तथा इसमें प्रथम अपील/अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सी. विंग, अगस्त कॉलोनी भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.03.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.04.2017
प्रति उत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	थीरदिनांकित
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	134776/24.05.2017
प्रथम अपील/अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	219/25.05.2017

निर्णय की तारीख : 26.05.2017

प्रथम अपील सं. : CIC/AA/A/2017/178
संदर्भ सूचना सं. : CICOM/A/2017/00172
CICOM/A/2017/00403
अपीलकर्ता : श्री शरद कुमार नाथ जयसवाल,
डी-32, सर्वोदय नगर,
इंदिरा नगर, लखनऊ।

दिनांक : 26.05.2017

भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
द्वितीय तल, अगस्त कॉलोनी भवन
केन्द्रीय सूचना आयोग